





फर्द अहकाम
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण
 रामू उर्फ रामस्वरूप बनाम गुल्लाराम वगै०

कदमा नं० 71 / 2024

क्रमा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31.05.2024	वादी के अभि० श्री सत्यनारायण माहेश्वरी ने अन्तर्गत धारा 188 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। पत्रावली अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर होकर तलवी डाक रजिस्टर्ड द्वारा प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.06.2024 को पेश हो।  उप बन्ध अधिकारी जमवारामगढ	नोटिस जारी 4170-34 31/5/2024
27/6/24		पत्रावली पेश हुई। वकील बाकी अर्ज पेश की गयी। तलवी डाक रजिस्टर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया। दिनांक 22/7/24 को पेश हो। 	
22/7/24		पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्वानुसार वादी वकील/अर्ज दिनांक <u>22/7/24</u> को पेश हो। 	
30/7/24		पत्रावली के वादी ने पेटिशन लकील शाप पत्र बाबत दावा विद्वा करने हेतु पेश करने पर पत्रावली के तलवी डाक रजिस्टर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया। वकील वादी के मुना गण्ड तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वादी के विद्वा प्र-पत्र लकील डाक रजिस्टर्ड वाद पत्र के विद्वा करने की अनुमति प्राप्त की गयी है तथा वाद पत्र के विद्वा किया जा रहा है।	रामलाल शर्मा 

महाराष्ट्र सरकार
राज्य उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञान विभाग
मुंबई - ४०००७५

पत्रावली क्र. १५८८/२०२४
१५/०५/२०२४

उपसंचालक अधिकारी
जमशेदपूर जिला-जयपुर